[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE [CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

Notification

New Delhi, the 30th day of August, 2012

INCOME-TAX

S.O.2005(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 92CC read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1). These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2012.
 - (2). They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), -
- (a) after rule 10E, the following rule shall be inserted, namely.-

"Advance Pricing Agreement Scheme

Meaning of expressions used in matters in respect of advance pricing agreement.

- 10F For the purposes of this rule and rules 10G to 10T,-
 - (a) 'agreement' means an advance pricing agreement entered into between the Board and the applicant, with the approval of the Central Government, as referred to in sub-section (1) of section 92CC of the Act;
 - (b) "application" means an application for advance pricing agreement made under rule 101;
 - (c) "bilateral agreement" means an agreement between the Board and the applicant, subsequent to, and based on, any agreement

referred to in rule 44 GA between the competent authority in India with the competent authority in the other country regarding the most appropriate transfer pricing method or the arms' length price;

- (d) "competent authority in India" means an officer authorised by the Central Government for the purpose of discharging the functions as such for matters in respect of any agreement entered into under section 90 or 90A of the Act;
- (e) "covered transaction" means the international transaction or transactions for which agreement has been entered into;
- (f) "critical assumptions" means the factors and assumptions that are so critical and significant that neither party entering into an agreement will continue to be bound by the agreement, if any of the factors or assumptions is changed;
- (g) "most appropriate transfer pricing method" means any of the transfer pricing method, referred to in sub-section (1) of section 92C of the Act, being the most appropriate method, having regard to the nature of transaction or class of transaction or class of associated persons or function performed by such persons or such other relevant factors prescribed by the Board under rule 10B and 10C;
- (h) "multilateral agreement" means an agreement between the Board and the applicant, subsequent to, and based on, any agreement referred to in rule 44GA between the competent authority in India with the competent authorities in the other countries regarding the most appropriate transfer pricing method or the arms' length price;
- (i) "tax treaty" means an agreement under section 90, or section 90A, of the Act for the avoidance of double taxation;
- (j) "team" means advance pricing agreement team consisting of income-tax authorities as constituted by the Board and including such number of experts in economics, statistics, law or any other field as may be nominated by the Director General of Income Tax (International Taxation);
- (k) "unilateral agreement" means an agreement between the Board and the applicant which is neither a bilateral nor multilateral agreement.

Persons eligible to apply

10G Any person who –

- (i) has undertaken an international transaction; or
- (ii) is contemplating to undertake an international transaction,

shall be eligible to enter into an agreement under these rules.

Pre-filing Consultation

- 10H (1) Every person proposing to enter into an agreement under these rules shall, by an application in writing, make a request for a pre-filing consultation.
 - (2) The request for pre-filing consultation shall be made in Form No. 3 CEC to the Director General of Income Tax (International Taxation).
 - (3) On receipt of the request in Form No. 3 CEC, the team shall hold prefiling consultation with the person referred to in rule 10G.
 - (4) The competent authority in India or his representative shall be associated in pre-filing consultation involving bilateral or multilateral agreement.
 - (5) The pre-filing consultation shall, among other things,-
 - (i) determine the scope of the agreement;
 - (ii) identify transfer pricing issues;
 - (iii) determine the suitability of international transaction for the agreement;
 - (iv) discuss broad terms of the agreement.
 - (6) The pre-filing consultation shall-
 - (i) not bind the Board or the person to enter into an agreement or initiate the agreement process;
 - (ii) not be deemed to mean that the person has applied for entering into an agreement.

Application for advance pricing agreement

101 (1) Any person, who has entered into a pre-filing consultation as referred to in rule 10H may, if desires to enter into an agreement furnish an application in Form No. 3 CED alongwith the requisite fee.

(2) The application shall be furnished to Director General of Income Tax (International Taxation) in case of unilateral agreement and to the competent authority in India in case of bilateral or multilateral agreement.

- (3) Application in Form No. 3 CED may be filed by the person referred to in rule 10G at any time-
 - (i) before the first day of the previous year relevant to the first assessment year for which the application is made, in respect of transactions which are of a continuing nature from dealings that are already occurring; or
 - (ii) before undertaking the transaction in respect of remaining transactions.
- (4) Every application in Form No. 3 CED shall be accompanied by the proof of payment of fees as specified in sub-rule (5).
- (5) The fees payable shall be in accordance with following table based on the amount of international transaction entered into or proposed to be undertaken in respect of which the agreement is proposed:

Amount of international transaction entered into or	Fee
proposed to be undertaken in respect of which	
agreement is proposed during the proposed	
period of agreement.	
Amount not exceeding Rs. 100 crores	10 lacs
Amount not exceeding Rs. 200 crores	15 lacs
Amount exceeding Rs. 200 crores	20 lacs

Withdrawal of application for agreement

- 10 J (1) The applicant may withdraw the application for agreement at any time before the finalisation of the terms of the agreement.
 - (2) The application for withdrawal shall be in Form No. 3CEE.

(3) The fee paid shall not be refunded on withdrawal of application by the applicant.

Preliminary processing of application

- 10 K (1) Every application filed in Form No. 3CED shall be complete in all respects and accompanied by requisite documents.
 - (2) If any defect is noticed in the application in Form No. 3CED or if any relevant document is not attached thereto or the application is not in accordance with understanding reached in pre-filing consultation referred to in rule 10H, the Director General of Income-tax (International Taxation) (for unilateral agreement) and competent authority in India (for bilateral or multilateral agreement) shall serve a deficiency letter on the applicant before the expiry of one month from the date of receipt of the application.
 - (3) The applicant shall remove the deficiency or modify the application within a period of fifteen days from the date of service of the deficiency letter or within such further period which, on an application made in this behalf, may be extended, so however, that the total period of removal of deficiency or modification does not exceed thirty days.
 - (4) The Director General of Income Tax (International Taxation) or the competent authority in India, as the case may be, on being satisfied, may pass an order providing that application shall not be allowed to be proceeded with if the application is defective and defect is not removed by applicant in accordance with sub-rule (3).
 - (5) No order under sub-rule (4) shall be passed without providing an opportunity of being heard to the applicant and if an application is not allowed to be proceeded with, the fee paid by the applicant shall be refunded.

Procedure

10 L (1) If the application referred to in rule 10K has been allowed to be proceeded with, the team or the competent authority in India or his representative shall process the same in consultation and discussion with the applicant in accordance with provisions of this rule.

- (2) For the purpose of sub-rule (1), it shall be competent for the team or the competent authority in India or its representative to-
 - (i) hold meetings with the applicant on such time and date as it deem fit;
 - (ii) call for additional document or information or material from the applicant;
 - (iii) visit the applicant's business premises; or
 - (iv) make such inquiries as it deems fit in the circumstances of the case.
- (3) For the purpose of sub-rule (1), the applicant may, if he considers it necessary, provide further document and information for consideration of the team or the competent authority in India or his representative.
- (4) For bilateral or multilateral agreement, the competent authority shall forward the application to Director General of Income Tax (International Taxation) who shall assign it to one of the teams.
- (5) The team, to whom the application has been assigned under sub-rule (4), shall carry out the enquiry and prepare a draft report which shall be forwarded by the Director General of Income Tax (International Taxation) to the competent authority in India.
- (6) If the Applicant makes a request for bilateral or multilateral agreement in its application, the competent authority in India shall in addition to the procedure provided in this rule invoke the procedure provided in the rule 44 GA.
- (7) The Director General of Income Tax (International Taxation) (for unilateral agreement) or the competent authority in India (for bilateral or multilateral agreement) and the applicant shall prepare a proposed mutually agreed draft agreement enumerating the result of the process referred to in sub-rule (1) including the effect of the arrangement referred to in sub-rule (5) of rule 44GA which has been accepted by the applicant in accordance with sub-rule (8) of the said rule.

- (8) The agreement shall be entered into by the Board with the applicant after its approval by the Central Government.
- (9) Once an agreement has been entered into the Director General of Income Tax (International Taxation) or the competent authority in India, as the case may be, shall cause a copy of the agreement to be sent to the Commissioner of Income Tax having jurisdiction over the assessee.

Terms of the agreement

- 10 M (1) An agreement may among other things, include
 - (i) the international transactions covered by the agreement;
 - (ii) the agreed transfer pricing methodology, if any;
 - (iii) determination of arm's length price, if any;
 - (iv) definition of any relevant term to be used in items (ii) or (iii);
 - (v) critical assumptions;
 - (vi) the conditions if any other than provided in the Act or these rules.
 - (2) The agreement shall not be binding on the Board or the assessee if there is a change in any of critical assumptions or failure to meet conditions subject to which the agreement has been entered into.
 - (3) The binding effect of agreement shall cease only if any party has given due notice of the concerned other party or parties.
 - (4) In case there is a change in any of the critical assumptions or failure to meet the conditions subject to which the agreement has been entered into, the agreement can be revised or cancelled, as the case may be.
 - (5) The assessee which has entered into an agreement shall give a notice in writing of such change in any of the critical assumptions or failure to meet conditions to the Director General of Income Tax (International Taxation) as soon as it is practicable to do so.

- (6) The Board shall give a notice in writing of such change in critical assumptions or failure to meet conditions to the assessee, as soon as it comes to the knowledge of the Board.
- (7) The revision or the cancellation of the agreement shall be in accordance with rules 10Q and 10R respectively.

Amendments to Application

- 10 N (1) An applicant may request in writing for an amendment to an application at any stage, before the finalisation of the terms of the agreement.
 - (2) The Director General of Income Tax (International Taxation) (for unilateral agreement) or the competent authority in India (for bilateral or multilateral agreement) may, allow the amendment to the application, if such an amendment does not have effect of altering the nature of the application as originally filed.
 - (3) The amendment shall be given effect only if it is accompanied by the additional fee, if any, necessitated by such amendment in accordance with fee as provided in rule 101.

Furnishing of Annual Compliance Report

- 10 O (1) The assessee shall furnish an annual compliance report to Director General of Income Tax (international Taxation) for each year covered in the agreement.
 - (2) The annual compliance report shall be in Form 3CEF.
 - (3) The annual compliance report shall be furnished in quadruplicate, for each of the years covered in the agreement, within thirty days of the due date of filing the income tax return for that year, or within ninety days of entering into an agreement, whichever is later.
 - (4) The Director General of Income Tax (International Taxation) shall send one copy of annual compliance report to the competent authority in India, one copy to the Commissioner of Income Tax who has the jurisdiction over the income-tax assessment of the assessee and one copy to the Transfer Pricing Officer having the jurisdiction over the assessee.

Compliance Audit of the agreement

- 10 P (1) The Transfer Pricing Officer having the jurisdiction over the assessee shall carry out the compliance audit of the agreement for each of the year covered in the agreement.
 - (2) For the purposes of sub-rule(1), the Transfer Pricing Officer may require –

(i) the assessee to substantiate compliance with the terms of the agreement, including satisfaction of the critical assumptions, correctness of the supporting data or information and consistency of the application of the transfer pricing method;

(ii) the assessee to submit any information, or document, to establish that the terms of the agreement has been complied with.

- (3) The Transfer Pricing Officer shall submit the compliance audit report, for each year covered in the agreement, to the Director General of Income Tax (International Taxation) in case of unilateral agreement and to the competent authority in India, in case of bilateral or multilateral agreement, mentioning therein his findings as regards compliance by the assessee with terms of the agreement.
- (4) The Director General of Income Tax (International Taxation) shall forward the report to the Board in a case where there is finding of failure on part of assessee to comply with terms of agreement and cancellation of the agreement is required.
- (5) The compliance audit report shall be furnished by the Transfer Pricing Officer within six months from the end of the month in which the Annual Compliance Report referred to in rule 10 O is received by the Transfer Pricing Officer.
- (6) The regular audit of the covered transactions shall not be undertaken by the Transfer Pricing Officer if an agreement has been entered into under rule 10L except where the agreement has been cancelled under rule 10R.

Revision of an agreement

- 10 Q (1) An agreement, subsequent to it having been entered into, may be revised by the Board, if.-
 - (a) there is a change in critical assumptions or failure to meet a condition subject to which the agreement has been entered into;
 - (b) there is a change in law that modifies any matter covered by the agreement but is not of the nature which renders the agreement to be non binding ; or
 - (c) there is a request from competent authority in the other country requesting revision of agreement, in case of bilateral or multilateral agreement.
 - (2) An agreement may be revised by the Board either *suo-moto* or on request of the assessee or the competent authority in India or the Director General of Income Tax (International Taxation).
 - (3) Except when the agreement is proposed to be revised on the request of the assessee, the agreement shall not be revised unless an opportunity of being heard has been provided to the assessee and the assessee is in agreement with the proposed revision.
 - (4) In case the assessee is not in agreement with the proposed revision the agreement may be cancelled in accordance with rule-10R.
 - (5) In case the Board is not in agreement with the request of the assessee for revision of the agreement, the Board shall reject the request in writing giving reason for such rejection.
 - (6) For the purpose of arriving at the agreement for the proposed revision, the procedure provided in rule 10 L may be followed so far as they apply.
 - (7) The revised agreement shall include the date till which the original agreement is to apply and the date from which the revised agreement is to apply.

Cancellation of an agreement

10 R (1) An agreement shall be cancelled by the Board for any of the following reasons:

- (i) the compliance audit referred to in rule 10P has resulted in the finding of failure on the part of the assessee to comply with the terms of the agreement;
- (ii) the assessee has failed to file the annual compliance report in time;
- (iii) the annual compliance report furnished by the assessee contains material errors; or
- (iv) the agreement is to be cancelled under sub-rule (4) of rule 10Q.
- (2) The Board shall give an opportunity of being heard to the assessee, before proceeding to cancel an application.
- (3) The competent authority in India shall communicate with the competent authority in the other country or countries and provide reason for the proposed cancellation of the agreement in case of bilateral or multilateral agreement.
- (4) The order of cancellation of the agreement shall be in writing and shall provide reasons for cancellation and for non acceptance of assessee's submission, if any.
- (5) The order of cancellation shall also specify the effective date of cancellation of the agreement, where applicable.
- (6) The order under the Act, declaring the agreement as void ab initio, on account of fraud or misrepresentation of facts, shall be in writing and shall provide reason for such declaration and for non acceptance of assessee's submission, if any.
- (7) The order of cancellation shall be intimated to the Assessing Officer and the Transfer Pricing Officer, having jurisdiction over the assessee.

Renewing an agreement

10 S Request for renewal of an agreement may be made as a new application for agreement, using the same procedure as outlined in these rules except pre filing consultation as referred to in rule 10H.

Miscellaneous

- 10 T (1) Mere filing of a application for an agreement under these rules shall not prevent the operation of Chapter X of the Act for determination of arms' length price under that Chapter till the agreement is entered into.
 - (2) The negotiation between the competent authority in India and the competent authority in the other country or countries, in case of bilateral or multilateral agreement, shall be carried out in accordance with the provisions of the tax treaty between India and the other country or countries.".

(b) after rule 44G of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely.-

"Procedure to deal with requests for bilateral or multilateral advance pricing agreements.

- **44GA**(1) Where a person has made request for a bilateral or multilateral advance pricing agreement in an application filed in Form No. 3 CED in accordance with rule 101, the request shall be dealt with subject to provisions of this rule.
 - (2) The process for bilateral or multilateral advance pricing agreement shall not be initiated unless the associated enterprise situated outside India has initiated process of advance pricing agreement with the competent authority in the other country.
 - (3) The competent authority in India shall, on intimation of request of the applicant for a bilateral or multilateral agreement, consult and ascertain willingness of the competent authority in other country or countries, as the case may be, for initiation of negotiation for this purpose.
 - (4) In case of willingness of the competent authority in other country or countries, as the case may be, the competent authority in India shall enter into negotiation in this behalf and endeavour to reach a set of terms which are acceptable to the competent authority in India and the competent authority in the other country or countries, as the case may be.
 - (5) In case of an agreement after consultation, the competent authority in India shall formalise a mutual agreement procedure arrangement

with the competent authority in other country or countries, as the case may be, and intimate the same to the applicant.

- (6) In case of failure to reach agreement on such terms as are mutually acceptable to parties mentioned in sub-rule 4, the applicant shall be informed of the failure to reach an agreement with the competent authority in other country or countries.
- (7) The applicant shall not be entitled to be part of discussion between competent authority in India and the competent authority in the other country or countries, as the case may be; however the applicant can communicate or meet the competent authority in India for the purpose of entering into an advance pricing agreement.
- (8) The applicant shall convey acceptance or otherwise of the agreement within thirty days of it being communicated.
- (9) The applicant, in case the agreement is not acceptable may at its option continue with process of entering into an advance pricing agreement without benefit of mutual agreement process or withdraw application in accordance with rule 10J.".

(c) In Appendix-II of the principal rules, after Form No. 3 CEB, the following Forms shall be inserted, namely: -

"Form No. 3CEC (See sub-rule (2) of rule 10 H) Application for a pre-filing meeting

Τo,

The Director General of Income Tax (International Taxation) New Delhi.

Sir/Madam,

I propose to apply for an Advance Pricing Agreement. In this regard I give below the necessary particulars for a pre-filing meeting:

- 1. Particulars of the applicant:
 - a. Full name of the applicant:
 - b. Permanent account number:
 - c. Address of the applicant:

- d. Location(s) of the business enterprises in India:
- e. Details of applicant authorized representative:
- f. Address for communication:
- g. Email id and the contact numbers of the person with whom correspondence is required to be made:
- 2. The global structure of the applicant's group and the industry in which it operates:
- 3. Names of all the associated enterprises (AE's) with which international transactions have been either undertaken or proposed to be undertaken:
- 4. Name of country(s) in which (AE's) is located:
- 5. Business model and overview of the applicant's business operations in prior 3 years:
- 6. Functional and Risk Profile of the applicant and associated enterprises:
- 7. a. Details of all the international transactions proposed to be covered in the APA:

b. Value of such international transactions covered under Transfer Pricing audit in prior 3 years:

8.	Details	of	all	other	international	
	transacti	ons r	not pro	posed	to be covered	
	in the AP	A:				

9. Type of APA proposed:

Yes/No

Yes/No

- b. If yes the reasons for the same:
- c. Are you proposing a Bilateral or Multilateral APA?
- d. If yes, provide the names of the country (ies) in which the associated enterprises are located:
- 10. Number of years for which APA is proposed to be applied:
- 11. Proposed transfer pricing methodology to be used with supporting documentation:
- 12. Identification of third party comparable:
- 13. Details of arm's length price or profit level indicator:
- 14. Details of critical assumptions, that the applicant considers, may affect the business or the transfer pricing methodology:
- 15. The history of the Competent Authority issues, requests, and settlements:
- 16. History of transfer pricing audits, assessments and present status of appeals:
- 17.Names and designation of the representatives who would be appearing before the authorities for pre-filing discussions:

Any other relevant information:

I declare that to the best of my knowledge and belief, the information furnished in the application is correct and truly stated.

Yours faithfully,

Place: Date:

Applicant

Notes:

- 1. The application must be filed in triplicate.
- 2. If the space provided for answering any item in the application is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose. These enclosures should be signed by the person authorised to sign the application.
- 3. In case the pre-filing meeting is requested on an anonymous basis, no names of the applicant or associated enterprises are to be given.
- 4. With regard to details of all the international transactions proposed to be covered in the APA, please furnish agreements with associated enterprises, if any, relating to the international transactions along with the reasons for covering these transactions in APA.
- 5. In case the applicant is applying for a Bilateral or Multilateral APA, the applicant must state whether India has an existing comprehensive DTAA with such country (ies). It may also be verified whether such country (ies) has APA program in place?
- 6. In case the pre-filing request is on anonymous basis, details of the representatives of the applicant who would be appearing before the authorities for pre-filing discussions must be furnished.

Form No. 3 CED (See sub-rule (1) of rule 10 I) Application for an Advance Pricing Agreement

To, The Competent Authority of India or Director General of Income Tax (International Taxation) New Delhi Sir/Madam, This is to state that(Name of the Applicant).....wishes to negotiate an APA with the Central Board of Direct Taxes. I am submitting herewith the necessary particulars hereunder:

I. General

- 1. Particulars of the applicant:
 - a. Full name of the applicant:
 - b. Permanent Account Number:
 - c. Address of the applicant:
 - d. Address for communication:
 - e. Location(s) of the business enterprises in India:
 - f. Email id and the contact numbers of the person with whom correspondence is required to be made:
 - g. Names and designation of the authorised representatives who would be appearing before the authorities for negotiations of the APA:
- 2. Whether pre-filing discussions were sought by the applicant? If yes, please furnish:
 - a. Date of application for pre-filing meeting:
 - b. Date of pre-filing meeting(s) with the APA Team:
- 3. Name(s) of the Associated Enterprises with whom the APA is requested for:

- Name of the country(ies) in which the associated enterprises mentioned in (3) above are located:
- 5. a. Are you applying for a Unilateral, Bilateral or Multilateral APA:

b. If you are applying for a Bilateral or Multilateral APA, have the Associated Enterprises applied for APA with the Competent Authority in the country of its residence?:

c. If yes, enclose evidence of furnishing such application with the other Competent Authority:

d. If no, by what date the application is proposed to be furnished to the other Competent Authority:

e. If the application is for Unilateral APA and it involves international transactions with an entity located in a jurisdiction with which India has an agreement under section 90 or 90A of the Act for avoidance of double taxation, kindly provide explanation for why the request is not for bilateral or multilateral APA.

- 6. Particulars of Fee paid by the applicant:
- 7. Period of APA proposed along with the date from which APA is sought to be applicable:
- 8. Details of the international transactions proposed to be covered in the APA (Description of the property or services to which the proposed APA relates):

Amount in Rs. Challan No: Dated:

Yes/No

Unilateral/Bilateral/Multilateral

- 9. Proposed Transfer Pricing Method(s):
- 10. Proposed terms and conditions, and critical assumptions, for the APA:
- 11. History and background of the applicant and the associated enterprise:
- 12. General description of business and products/services:
- 13. Multinational structure, organizational arrangement, operational set-up, including major transaction flows:
- 14. Identify all other transaction flows of the multinational enterprise (volumes, directions and amounts) that may have an impact on the pricing of the covered transactions:
- 15. Functional currency for each entity and the currency which is used for the proposed transactions to be covered under the APA:
- 16. Accounting and costing system, policies, procedures, and practices, including any significant financial and tax accounting differences that may affect the TPMs:

II. Functional analysis

- 17. Detailed functional analysis of the applicant and all relevant entities with respect to the covered transactions:
- 18. Business strategies current and future Budget statements, projections and business plans for future period covered by proposed APA, general business and industry trends, future direction/business

strategy including R&D, production, and marketing:

- 19. Financial and operating information, including corporate annual reports: (Please enclose copies)
 - a. Financial statements on a consolidated and unconsolidated basis for the prior five years, or the most recent business cycle as appropriate (Also provide interim statements for the most recent period prior to the date of the submission):
 - b. Income tax returns and related supporting schedules for the prior three years including Form 3CEB:
 - c. Operating data (gross and net) segmented by product line, division, unit, and geographic region for the prior five years, or the most recent business cycle as appropriate:
- 20.Relevant marketing and financial studies: (Please enclose copies)
- 21. Copies of all relevant intercompany agreements (pricing, cost sharing, licensing, distributorship etc.): (Please enclose copies)

III. Industry and market analyses

22. Detailed industry analysis:

a. Comprehensive description of industry as well as generally accepted industrial and commercial practices:

- b. Identification and general profile of competitors, including respective market shares:
- c. Industry and general business statistics, financial ratios, and analyses/studies:
- d. Critical success factors:
- 23. Detailed analysis of the markets for all countries involved:

IV. Transfer pricing background

- 24. Discussion of relevant legal considerations and requirements as per:
 - a. Indian law
 - b. Foreign law
 - c. Income tax treaty between India and the foreign country
- 25. Discussion of transfer pricing methodologies, policies, and practices used by the applicant and associated enterprises for the covered transactions during the past three years, or business cycle as appropriate:
- 26. Discussion of relevant rulings, APAs/BAPAs/MAPAs, and other similar arrangements entered into with foreign tax administrations, for transfer pricing or other valuation bases, or other taxation matters entered into by the applicant (or its associated enterprises) and Indian or foreign tax administrations:
- 27. Discussion of relevant Indian income tax audit, appeals, judicial and competent authority history:

- 28. Discussion of relevant foreign income tax audit, appeals, judicial and competent authority history:
- 29. Discussion of un-assessed taxation years (Indian and foreign) and related outstanding tax, legal, and other pertinent issues:

V. Transfer Pricing Methodology analysis:

- 30. Provide all information, including detailed analyses and explanations needed to establish the appropriateness of a proposed TPM, in accordance with transfer pricing regulations as contained in the Indian Income Tax law:
- 31. Discussion and analysis of each transfer pricing method, applied or rejected, for each covered transaction. In particular provide details on accepted or rejected internal comparables. (Indicate assumptions, strategies, and policies that may have influenced the acceptance or rejection of each TPM):
- 32. Summary of selected TPMs and secondary TPMs, if used as a sanity check:

VI. Impact of proposed TPMs

- 33. Application of the proposed TPMs to the covered transactions for the three prior years' operations or the most recent business cycle, and discuss results:
- 34. Application of the proposed TPMs to the time period applicant wants the APA to cover and discuss results:
- 35. Discussion and quantification of the variance, if any, from the methodology applied in section IV:

I declare that to the best of my knowledge and belief, the information furnished in the application is correct and truly stated.

Yours faithfully,

Place: Date:

Applicant

Notes:

- 1. Bilateral or multilateral APA application shall be filed with the Competent Authority i.e. the Joint Secretary FT&TR-I, New Delhi in triplicate.
- 2. Unilateral APA application shall be filed with the Director General of Income Tax (International Taxation), New Delhi in triplicate.
- 3. If the space provided for answering any item in the application is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose. These enclosures should be signed by the person authorised to sign the application.
- 4. The fee shall be computed in accordance with the sub-rule (5) of Rule10 I.
- 5. The application shall accompany with all the relevant documents.

Form No. 3 CEE (See sub-rule (2) of rule 10 J) Application for withdrawal of APA request

Τo,

The Competent Authority of India,

or

The Director General of Income Tax (International Taxation), New Delhi.

Sir/Madam,

This is to state that(Name of the Taxpayer) had filed an application for Unilateral/Bilateral/Multilateral APA on ...dd/mm/yyyy. For the reasons stated below, the application is hereby withdrawn:

I declare that to the best of my knowledge and belief, the information furnished with regard to the withdrawal of the application is correct and truly stated and I fully understand that the fee paid by me under Rule 10 I of Income-tax Rules shall not be refunded.

Yours faithfully,

Applicant

Place:

Date:

Notes:

- 1. The Withdrawal Application must be filed in triplicate.
- 2. The Withdrawal Application shall be filed before the authority, before whom the application for APA was made.
- 3. If the space provided for answering any item in the application is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose. These enclosures should be signed by the person authorised to sign the application.

Form No. 3 CEF (See sub-rule 2 of rule 10 O) Annual Compliance Report on Advance Pricing Agreement

To,

The Director General of Income Tax (International Taxation) New Delhi

Sir/Madam,

- 1. Particulars of the taxpayer:
 - a. Full name of the Taxpayer:
 - b. Permanent Account Number:
 - c. Address of the Taxpayer:
 - d. Address for communication:
 - e. Email id and the contact numbers of the person for correspondence:
- 2. Type of APA entered into:
 - a. Have you entered into a unilateral APA or Bilateral APA or Multilateral APA? Unilateral/Bilateral/Multilateral
 - b. If you have entered into a Bilateral APA or Multilateral APA, provide the names of the country (ies) with which the APA has been entered into.
- 3. Name(s) of the associated enterprise(s) with which international transactions have been undertaken during the year.
- 4. Details of Covered Transactions:
 - a. Nature of Covered Transaction:
 - b. Amount of Covered Transaction:
 - c. Country(ies) involved:
 - d. Agreed transfer pricing method:
 - e. Agreed profit level indictor:
 - f. Actual result achieved:
 - g. Adjustment required:
 - h. How the adjustment if any is reflected in the income tax return:

- 5. Are there any changes in the **business model** of the taxpayer in the current financial year as compared to:
 - a. Immediately preceding year:
 - b. Year immediately preceding to the first year to which APA is applicable:
- 6. Are there any changes in the **Functional and Risk Profile** of the taxpayer and the associated enterprises in the current financial year as compared to:
 - a. Immediately preceding year:
 - b. Year immediately preceding to the first year to which APA is applicable:

7. Transfer pricing methodology:

- a. Agreed upon in the APA:
- b. Followed during the year to justify the arm's length price of the international transactions covered by APA:
- c. Variations between (a) and (b) above, if any:
- d. Reasons for variations:

8. Critical assumptions:

- a. Agreed upon in the APA:
- b. Whether the critical assumptions have been met during the year or there has been a change in critical assumptions:

- c. Reasons for not meeting the critical assumptions or change in critical assumptions:
- 9. Are there any changes in the organisational structure of the taxpayer group by way of amalgamation, acquisition, merger, demerger or sale of business or by any other methods? If yes, please furnish complete details thereof and show its impact on the critical assumptions agreed upon in the APA:
- 10.Specify all other terms and conditions agreed upon in the APA and show whether they have been complied with. In case of non compliance, furnish the reasons thereof:

I declare that I have examined the information contained in this APA Annual Compliance Report, including the accompanying documents, and to the best of my knowledge and belief, the facts presented within this report and accompanying documents are true, comprehensive and accurate.

Yours faithfully,

Place: Date:

(Name of the Taxpayer)

Notes:

- 1. The Annual Compliance Report shall be filed quadruplicate.
- 2. The Annual Compliance Report shall be filed for every year covered in the APA Separate report shall be filed for each year.
- 3. The information relating to "Covered Transaction" in item No. 4 above is required to be furnished for each covered transaction separately.
- 4. Please attach all documents as agreed upon in the APA to justify the transfer pricing methodology and computation of arm's length price.".

[Notification No. _36/2012/ F.No.133 /5/2012-SO (TPL)]

(ASHISH KUMAR) Director (Tax Policy and Legislation)

Note. - The principal rules were published vide Notification No. S.O.969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (9th Amendment) Rules, 2012 vide Notification S.O. No. 1979(E) dated _28-08-2012.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2012

आय-कर

का0आ0.2005.(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गग की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,-

(क) नियम 10ङ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''अग्रिम कीमत निर्धारण करार स्कीम

अग्रिम कीमत निर्धारण करार की बाबत वि-ायों में प्रयुक्त पदों के अर्थ

10च. इस नियम और नियम 10छ से नियम 10न के प्रयोजनों के लिए-

(क) ''करार'' से अधिनियम की धारा 92गग की उपधारा (1) में यथानिर्दि-ट केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड और आवेदक के बीच अग्रिम कीमत निर्धारण करार अभिप्रेत है ;

(ख) ''आवेदन'' से नियम 10झ के अधीन अग्रिम कर निर्धारण के लिए किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है ;

(ग) ''द्विपक्षीय करार'' से सर्वाधिक अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति और आसंनिकट कीमत के संबंध में बोर्ड और आवेदक के बीच करार तत्पश्चात् नियम 44गक में निर्दि-ट भारत के सक्षम प्राधिकारी और किसी अन्य देश के सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई करार पर आधरित करार अभिप्रेत है ;

(घ) ''भारत का सक्षम प्राधिकारी'' से अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन हुए किसी करार की बाबत ऐसे वि-ायों के लिए कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) ''समावि-ट संव्यवहार'' से कोई अंतररा-ट्रीय संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार अभिप्रेत हैं जिसके लिए करार किया गया है ; (च) ''आलोचनात्मक पूर्वधारणा'' से वे आलोचनात्मक कारक और पूर्वधारणाएं अभिप्रेत हैं जो इतनी नाजुक और महत्वपूर्ण हैं कि न ही करार कर रहा कोई पक्षकार करार से आबद्ध होना जारी रखेगा यदि कोई कारक या पूर्वधारणा परिवर्तित होती है ;

(छ) ''सर्वाधिक समुचित अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति" से संव्यवहार या संव्यवहारों के वर्ग या सहबद्ध व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्य या नियम 10ख और नियम 10ग के अधीन बोर्ड द्वारा विहित अन्य सुसंगत कारकों का ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दि-ट कोई अंतरण की कीमत निर्धारण पद्धति अभिप्रेत है जो सर्वाधिक समुचित पद्धति है ;

(ज) ''कर संधि'' से दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन कोई करार अभिप्रेत है ;

(झ) ''बहु-पक्षीय करार'' से सर्वाधिक अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति और आसंनिकट कीमत के संबंध में बोर्ड और आवेदक के बीच करार तत्पश्चात् नियम 44गक में निर्दि-ट भारत के सक्षम प्राधिकारी और किसी अन्य देश के सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई करार पर आधरित करार अभिप्रेत है ;

(ञ) ''दल" से ऐसे आयकर प्राधिकारी, जो अधिसूचित किए जा सकें, से बनने वाला अग्रिम कीमत निर्धारण करार दल अभिप्रेत है और इसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी विधि या किसी अन्य क्षेत्र के विशे-ाज्ञ सम्मिलित हैं, जो आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) द्वारा नामनिर्देशित किए जा सकें, यदि कोई हों ;

(ट) ''एकपक्षीय करार'' से बोर्ड और आवेदक के बीच कोई ऐसा करार अभिप्रेत है, जो कि न तो द्विपक्षीय करार है या न तो बहुपक्षीय करार है ;

आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति

10छ. कोई व्यक्ति जिसने,-

- (i) अंतररा-ट्रीय संव्यवहार किया है ; या
- (ii) अंतररा-ट्रीय संव्यवहार करने के लिए ध्यानपूर्वक विचार कर रहा है,

इन नियमों के अधीन करार करने के लिए पात्र होगा ।

फाइल करने से पूर्व परामर्श

10ज. (1) इन नियमों के अधीन निर्धारण करार करने के लिए प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लिखित में आवेदन द्वारा फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए अनुरोध करेगा ।

(2) फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए अनुरोध आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) प्ररूप संख्या 1 में किया जाएगा ।

(3) प्ररूप सं0 3 सीईसी में अनुरोध के प्राप्त होने पर दल, नियम 10छ में संदर्भित व्यक्ति से फाइल करने से पूर्व परामर्श करेगा ।

(4) भारत का सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए अंतर्वलित करते हुए, फाइल करने से पूर्व परामर्श से सहबद्ध होंगे । (5) फाइल करने से पूर्व, अन्य बातों के साथ ये बातें होंगी-

(i) करार के क्षेत्र का अवधारण ;

(ii) अंतरण कीमत निर्धारण मुद्दों की पहचान ;

(iii) किसी करार के लिए अंतररा-ट्रीय संव्यवहार की उपयुक्तता का निर्धारण ;

(iv) करार के विस्तृत निबंधनों की चर्चा ;

(6) फाइल करने से पूर्व परामर्श-

(i) करार कर रहे या करार की प्रक्रिया आरंभ कर रहे किसी बोर्ड या व्यक्ति पर आबद्ध नहीं होगा ;

(ii) इससे यह नहीं समझा जाएगा कि व्यक्ति ने करार करने के लिए आवेदन किया है ।

अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए आवेदन -

10झ.(1) कोई व्यक्ति, जिसने नियम 10ज में यथानिर्दि-ट फाइल करने से पूर्व परामर्श किया है, यदि वह करार करने के लिए इच्छुक है तो वह अपेक्षित फीस के साथ प्ररूप सं0 3 सीईडी में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) एकपक्षीय करार की दशा में, आवेदन आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को प्रस्तुत किया जाएगा और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्ररूप सं0 3 सीईडी में आवेदन किसी समय नियम 10छ में संदर्भित व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है-

(i) उन संव्यवहारों की बाबत, जो व्यवहार्य से जारी प्रकृति हैं, और जो पहले से ही हो रहे हैं पहले निर्धारण वर्न से सुसंगत पूर्ववर्न के पहले दिन के पूर्व ; या

(ii) शे-ा संव्यवहारों की बाबत संव्यवहार करने से पूर्व ।

(4) प्ररूप सं0 3 सीईडी में प्रत्येक आवेदन उपनियम (5) में यथा विनिर्दि-ट फीस के संदाय के सबूत के साथ होगा ।

(5) संदेय फीस, उसकी बाबत जिसको करार प्रस्तावित है किए जाने के लिए या प्रस्तावित किए जाने के लिए अंतररा-ट्रीय संव्यवहार की रकम पर आधारित निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी :

एपीए की प्रस्तावित अवधि के दौरान, जिसकी बाबत करार प्रस्तावित	फीस
है, किए जाने के लिए या प्रस्तावित किए जाने के लिए अंतररा-ट्रीय	
संव्यवहार की रकम	
सौ करोड़ रुपए से अनधिक रकम	10 लाख
दो सौ करोड़ रुपए से अनधिक रकम	15 लाख

दो सौ करोड़ रुपए से अधिक रकम	20 लाख
	20 010

करार आवेदन की वापसी

10ञ. (1) आवेदक करार के निबंधनों के अंतिम होने से पूर्व किसी भी समय करार के लिए आवेदन को वापस ले सकेगा ।

(2) वापसी के लिए आवेदन प्ररूप 3 सीईई में किया जाएगा ।

(3) संदत्त फीस का आवेदक द्वारा आवेदन के वापस लिए जाने पर प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

आवेदन की प्रारंभिक प्रक्रिया

10ट. (1) प्ररूप सं0 3 सीईडी में फाइल किया गया प्रत्येक आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होगा और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ होगा ।

(2) यदि प्ररूप सं0 3 सीईडी के आवेदन में कोई त्रुटि जानकारी में आती है या यदि कोई सुसंगत दस्तावेज इससे संलग्न नहीं किया गया है या आवेदन नियम 10ज में निर्दि-ट परामर्श से पूर्व, फाइल करने की सहमति के अनुसार नहीं है तो आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) और भारत का सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आर भारत का सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आतर मार की समाप्ति से पूर्व आवेदन की क्री तारीख से एक मास की समाप्ति से पूर्व आवेदक को कमी बताने वाले एक पत्र की तामील करेगा ।

(3) आवेदक कमी बताने वाले पत्र की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसको इस निमित्त आवेदन बढ़ाया गया था या बढ़ाया जा सकता है, आवेदन की कमी को दूर कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा, तथापि कमी को दूर किए जाने या उपांतरण की कुल अवधि तीस दिन से अधिक न हो ।

(4) यथास्थिति, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) या भारत के सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर, यह उपबंध करते हुए आदेश पारित कर सकेगा कि आवेदन को अग्रेनित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि,-

आवेदन त्रुटिपूर्ण है और उपनियम (3) के अनुसार आवेदक द्वारा त्रुटि को दूर नहीं किया गया है।

(5) उपनियम (4) के अधीन कोई आदेश, आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा और यदि कोई आवेदन अग्रसर होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त फीस का प्रतिदाय किया जाएगा ।

प्रक्रिया

10ठ. (1) यदि दल या भारत के सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि के साथ अग्रसर होने के लिए नियम 10ट में निर्दि-ट आवेदन को अनुज्ञात किया जाता है तो इस नियम के उपबंधों के अनुसार आवेदक से परामर्श और चर्चा करके उसे अग्रसरित किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए यह दल या भारत के सक्षम प्राधिकारी या इसके प्रतिनिधि के लिए यह सक्षम होगा कि वह-

(i) ऐसे समय और तारीख को आवेदक के साथ बैठक करे जो वह ठीक समझे ;

- (ii) आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना या सामग्री के लिए मांग करे ;
- (iii) आवेदक के कारबार परिसर का दौरा करे ; या
- (iv) ऐसी जांच करे जो मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे ।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, आवेदक यदि वह विचार करता है कि यह आवश्यक है तो वह दल या भारत के सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि के विचार के लिए और दस्तावेज और सूचना प्रदान कर सकेगा।

(4) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए, सक्षम प्राधिकारी, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को आवेदन अग्रेनित करेगा जो दलों में से किसी एक को सौंपेगा ।

(5) दल जिसको उपनियम (4) के अधीन आवेदन सौंपा गया है, जांच का क्रियान्वयन करेगा और प्रारूप रिपोर्ट तैयार करेगा जो आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) द्वारा भारत के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेनित की जाएगी ।

(6) यदि आवेदक ने अपने आवेदन में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए अनुरोध किया है तो भारत का सक्षम प्राधिकारी इस नियम में उपबंधित प्रक्रिया के अतिरिक्त नियम 44छक में उपबंधित प्रक्रिया का अवलंब लेगा ।

(7) आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) या भारत का सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) और आवेदक नियम 44छक के उपनियम (5) में निर्दि-ट ठहराव के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए, उपनियम (1) में निर्दि-ट प्रक्रिया के परिणाम की गणना करते हुए प्रस्तावित पारस्परिक सहमति प्रारूप करार तैयार करेंगे जिसे उक्त नियम के उपनियम अनुसार आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है ।

(8) बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा इसके अनुमोदन किए जाने के पश्चात् आवेदक के साथ करार किया जाएगा ।

(9) एक बार जब करार कर दिया जाता है तो, यथास्थिति, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) या भारत का सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आयुक्त जिसकी अधिकारिता निर्धारिती पर है, उसे करार की प्रति भिजवाएगा ।

करार के निबंधन

10ड. (1) किसी करार में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

- (i) करार द्वारा समावि-ट अंतररा-ट्रीय संव्यवहार ;
- (ii) सहमत अंतरण कीमत निर्धारण वर्गीकरण, यदि कोई है ;
- (iii) संनिकट कीमत का अवधारण, यदि कोई है ;

(iv) मद (ii) या मद (iii) में प्रयुक्त किए जाने वाले किसी सुसंगत निबंधन की परिभा-ाा ;

- (v) आलोचनात्मक पूर्वधारणा ;
- (vi) वे शर्तें यदि वे अधिनियम या इन नियमों में दिए गए से भिन्न हैं।

(2) करार बोर्ड या निर्धारिती पर बाध्यकर नहीं होगा यदि आलोचनात्मक पूर्वधारणा में कोई परिवर्तन है या ऐसी शर्तों को पूरा करने में चूक है जिसके अध्यधीन करार किया गया है ।

(3) करार का आबद्ध प्रभाव तभी समाप्त होगा यदि किसी पक्षकार ने संबद्ध अन्य पक्षकार या पक्षकारों को सम्यक् रूप से सूचना दे दी है ।

(4) यदि आलोचनात्मक पूर्वधारणाओं में कोई परिवर्तन है या उन शर्तों को पूरा करने में कोई चूक है, जिसके अधीन करार किया गया है तो करार को, यथास्थिति, पुनरीक्षित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है ।

(5) निर्धारिती जिसने करार किया है, आलोचनात्मक पूर्वधारणाओं में ऐसा कोई परिवर्तन या ऐसी शर्तों को पूरा करने में कोई चूक के लिए लिखित में सूचना, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को जहां तक ऐसा करना व्यवहार्य हो, देगा ।

(6) बोर्ड, निर्धारिती को आलोचनात्मक पूर्वधारणा में ऐसे परिवर्तन या ऐसी शर्तों को पूरा करने में चूक के लिए लिखित में सूचना देगा, जैसे ही यह बोर्ड की जानकारी में आता है ।

(7) करार का पुनरीक्षण या रद्दकरण क्रमशः नियम 10थ और नियम 10द के अनुसार होगा ।

आवेदन में संशोधन

10ढ. (1) आवेदक, करार के निबंधन के अंतिम होने से पूर्व किसी प्रक्रम पर आवेदन में कोई संशोधन करने के लिए लिखित में अनुरोध कर सकेगा ।

(2) आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) या भारत का सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आवेदन में संशोधन अनुज्ञात कर सकेगा, यदि ऐसे संशोधन का, आवेदन की प्रकृति में किए गए किसी परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है जो मूल रूप से फाइल की गई थी ।

(3) संशोधन को प्रभावी तभी किया जाएगा जब यह नियम 10झ में यथाउपबंधित फीस के अनुसार ऐसे संशोधन द्वारा अतिरिक्त फीस के साथ हो, यदि यह आवश्यक हो ।

वार्निक अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति

10ण. (1) निर्धारिती एक वार्निक अनुपालन रिपोर्ट आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को करार में समावि-ट प्रत्येक वर्न के लिए करेगा ।

(2) वार्निक अनुपालन रिपोर्ट प्ररूप सं0 3 सीईएफ में होगी ।

(3) वार्निक अनुपालन रिपोर्ट उस वर्न के लिए आयकर विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख के तीस दिन के भीतर या करार करने के नब्बे दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में समावि-ट प्रत्येक वर्न के लिए चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) वार्निक अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति भारत के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा, एक प्रति उस आयकर आयुक्त को भेजेगा जिसकी निर्धारती के आयकर निर्धारण के पर अधिकारिता है और एक प्रति अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी को भेजेगा जिसकी निर्धारिती पर अधिकारिता है ।

करार के अनुपालन की संपरीक्षा

10त. (1) निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाला अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी करार के अधीन आने वाले प्रत्येक वर्न के लिए करार के अनुपालन की संपरीक्षा करवाएगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए अंतरण कीमत अधिकारी निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा -

(i) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी करार के निबंधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए करदाता से अपेक्षा करेगा जिसमें, महत्वपूर्ण अवधारणाओं, सहायक डाटा या जानकारी की शुद्धता और अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति को लागू करने की सतता सम्मिलित है ।

(ii) निर्धारिती यह साबित करने के लिए कि करार के निबंधनों का अनुपालन किया गया है कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा करेगा ।

(3) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को एकपक्षीय करार के मामले में और भारत के सक्षम प्राधिकारी को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के मामले में उसमें यह उल्लेख करते हुए कि करार के निबंधनों में करदाता द्वारा अनुपालन के वि-ाय में उसके नि-क-र्न हैं, करार में समावि-ट प्रत्येक व-र्न के लिए लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) बोर्ड को उस मामले में जहां करार के निबंधनों के अनुपालन में करदाता की ओर से किसी चूक का नि-क-र्र है और करार का रद्दकरण अपेक्षित है, रिपोर्ट अग्रेनित करेगा ।

(5) लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट उस मास की समाप्ति से छह मास के भीतर, जिसको अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 10ण में निर्दि-ट वार्निक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होती है, प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा समावि-ट संव्यवहारों की नियमित संपरीक्षा नहीं की जाएगी यदि नियम 10ठ के अधीन कोई करार किया गया है सिवाय वहां के जहां करार को नियम 10द के अधीन रद्द कर दिया गया है ।

करार का पुनरीक्षण

10थ. (1) किसी करार में प्रवि-ट होने के पश्चात् किसी करार का इस नियम के अनुसरण में बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकेगा, यदि,-

(क) महत्वपूर्ण अवधारणा में कोई परिवर्तन है या ऐसी किसी शर्त को पूरा करने में असफलता जिसके अधीन रहते हुए करार किया गया है ;

(ख) विधि में कोई परिवर्तन जो करार द्वारा समावि-ट किसी मामले को उपांतरित करता है किन्तु ऐसी प्रकृति का नहीं है जो करार को आबद्धकर नहीं बनाता है ; या

(ग) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में किसी अन्य देश के सक्षम प्राधिकारी से करार के पुनरीक्षण का अनुरोध है ।

(2) किसी करार का बोर्ड द्वारा स्वप्रेरणा से या निर्धारिती या भारत में सक्षम प्राधिकारी या महानिदेशक आयकर (अंतररा-ट्रीय कराधान) के अनुरोध पर पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

- (3) निर्धारिती के अनुरोध पर करार के पुनरीक्षण के प्रस्ताव के सिवाए, करार का तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है और निर्धारिती प्रस्तावित पुनरीक्षण से सहमत है ।
- (4) कर दाता के प्रस्तावित पुनरीक्षण से सहमत न होने की दशा में करार को नियम 10द के अनुसरण में रद्द किया जा सकेगा ।
- (5) बोर्ड के निर्धारिती के करार के पुनरीक्षण के अनुरोध से सहमत न होने की दशा में, बोर्ड अनुरोध को रद्द करने के कारण लिखित में देते हुए रद्द कर देगा ।
- (6) प्रस्तावित पुनरीक्षण के लिए सहमति के प्रयोजन के लिए नियम 10ठ में उपबंधित प्रक्रिया को, जहां तक हो सके, लागू किया जाएगा ।
- (7) पुनरीक्षित करार में उस तारीख को शामिल किया जाएगा जिस तक मूल करार को लागू होना है और वह तारीख जिससे पुनराक्षित करार को लागू होना है।

करार को रद्द करना

10द (1) किसी करार को बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसी कारण से रद्द किया जाएगा

(i) नियम 10त में निर्दि-ट अनुपालन संपरीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चलना कि निर्धारिती करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है ;

(ii) निर्धारिती समय पर वार्निक अनुपालन रिपोर्ट फाइल करने में असमर्थ रहा है ;

(iii) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वार्निक अनुपालन रिपोर्ट में तात्विक त्रुटियां अंतर्वि-ट हैं; या

(iv) करार को नियम 10थ के उपनियम (5) के अधीन रद्द किया जाना है ।

- (2) बोर्ड करार को रद्द करने की कार्यवाही करने से पहले निर्धारिती को सुने जाने का अवसर देगा ।
- (3) भारत में सक्षम प्राधिकारी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगा और करार को प्रस्तावित रद्द करने के कारण से संसूचित करेगा ।
- (4) करार के रद्द करने का आदेश लिखित होगा और करार के रद्द करने के और निर्धारिती के निवेदन, यदि कोई हो, को अस्वीकार करने के कारणों को दर्शाएगा ।
- (5) करार को रद्द करने के आदेश में करार को रद्द करने की प्रभावी तारीख को भी, जहां लागू हो, विनिर्दि-ट किया जाएगा ।
- (6) अधिनियम के अधीन करार को कपट या दुर्व्यपदेशन के तथ्यों को गणना में लेते हुए प्रारंभतः शून्य घोनित करने का आदेश लिखित होगा और ऐसी घोनणा करने के कारणों और निर्धारिती के निवेदन, यदि कोई हो, को उसमें उपदर्शित किया जाएगा ।
- (7) रद्द करने के आदेश से निर्धारिती के ऊपर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी और अंतरण मूल्य अधिकारी को संसूचित किया जाएगा ।
करार का नवीकरण

10ध करार के नवीकरण का अनुरोध, नए आवेदन के रूप में, इन नियमों में दी गई उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, सिवाए नियम 10ज में निर्दि-ट फाइल करने के पूर्व परामर्श के सिवाए किया जा सकेगा ।

प्रकीर्ण

10न (1) इन नियमों के अधीन केवल किसी करार के लिए आवेदन फाइल करना अधिनियम के अध्याय 10 के प्रचालन को उस अध्याय के अधीन सन्निकट मूल्य के अवधारण से तब तक निवारित नहीं करेगा जब तक कि करार नहीं कर लिया जाता है ।

(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत में सक्षम प्राधिकारी और अन्य देश या देशों में सक्षम प्राधिकारी के बीच बातचीत भारत और अन्य देश या देशों की कर संधि के उपबंधों के अनुसरण में की जाएगी । ";

(ख) मूल नियम के नियम 44छ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम कीमत निर्धारण करारों से बरतने के लिए प्रक्रिया

- 44छक. (1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 4 के अनुसरण में करार-2 प्ररूप में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए अनुरोध किया है, तो अनुरोध से इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बरता जाएगा ।
- (2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक भारत से बाहर स्थित सहबद्ध उद्यम ने उस देश के सक्षम प्राधिकारी के साथ अग्रिम मूल्य करार की प्रक्रिया आरंभ न कर दी हो ।
- (3) भारत में सक्षम प्राधिकारी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदक के अनुरोध की सूचना प्राप्त होने पर, यथास्थिति, उस देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेगा और उनकी सहमति का इस प्रयोजन के लिए बातचीत आरंभ करने से पहले पता लगाएगा।
- (4) यथास्थिति, अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी की सहमति की दशा में भारत में सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त बातचीत करेगा और ऐसे निबंधनों पर पहुंचने का प्रयास करेगा जो यथास्थिति, भारत में सक्षम प्राधिकारी तथा अन्य देश में सक्षम प्राधिकारी को स्वीकार्य हों।
- (5) परामर्श के पश्चात् सहमति की दशा में भारत में सक्षम प्राधिकारी यथास्थिति अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ एक पारस्परिक करार प्रकिया प्रबंध को अंतिम रूप देगा और इससे आवेदक को सूचित करेगा ।
- (6) उपनियम 4 में वर्णित पक्षकारों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ऐसे निबंधनों पर समझौता करने में असफल रहने की दशा में, आवेदक को उस देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ समझौता करने में असफलता से सूचित किया जाएगा ।

- (7) आवेदक भारत में सक्षम प्राधिकारी और, यथास्थिति, अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के बीच बातचीत में भाग लेने का हकदार नहीं होगा ; तथापि आवेदक किसी अग्रिम कीमत निर्धारण करार में प्रवि-ट होने के प्रयोजन के लिए भारत में सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकेगा या मिल सकेगा ।
- (8) आवेदक उसे संसूचित करने के तीस दिन के भीतर करार पर अपनी स्वीकृति या अन्यथा बताएगा ।
- (9) आवेदक, करार के स्वीकार्य न होने की दशा में अपने विकल्प पर पारस्परिक करार प्रक्रिया के अभिलाभों के बिना अग्रिम कीमत निर्धारण करार में प्रवि-ट होने की प्रक्रिया को जारी रखेगा या नियम 10ञ के अनुसरण में आवेदन को वापस लेगा ।";

(ग) मूल नियमों के परिशि-ट 2 में, प्ररूप सं. 3गडख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप सं.3सीईसी (नियम 10ज का उपनियम (2) देखें) फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए आवेदन

सेवा में, महानिदेशक आयकर (अंतररा-ट्रीय कराधान) नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

में अग्रिम कीमत निर्धारण करने के लिए आवेदन का प्रस्ताव करता हूं, इस संबंध में फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए निम्नलिखित आवश्यक विशि-टियां देता हूं :

- 1. आवेदक की विशि-टियां :
 - क. आवेदक का पूरा नाम :
 - ख. स्थाई लेखा संख्यांक:
 - ग. आवेदक का पता:
 - घ. भारत में कारबार उद्यम की अवस्थिति (यां) :
 - ङ. आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे:
 - च. संपर्क के लिए पता:
 - छ. उस व्यक्ति का ई-मेल और संपर्क संख्या जिससे पत्राचार किया जाना अपेक्षित है
- 2. आवेदक के समूह का वैश्विक ढांचा और वह उद्योग जिसमें वह प्रचालन करता है :
- सहबद्ध उद्यमों (एई) के नाम जिनके साथ अंतररा-ट्रीय संव्यवहार या किए गए हैं या किए जाने के लिए आशयित हैं :
- 4. उस देश (शों) का नाम जिनमें सहबद्ध उद्यम अवस्थित हैं :
- 5. कारबार मॉडल और पूर्ववर्ती तीन व-र्ों में आवेदक के कारबार प्रचालनों का सिंहावलोकन

11

6.	आवेदक	और	सहबद्ध	उद्यमों	का	कृत्यकारी	और	जोखिम	प्रोफाइल:
۰.	•11 1 4 1	•11 (ine nu	00111	1.1	2	•11 (

7. (क) करार में आने वाले प्रस्तावित अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरे:

(ख) पूर्ववर्ती तीन व-र्ों में अंतरण मूल्य लेखा परीक्षा के अधीन आने वाले अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों का मूल्य :

8. करार के अधीन न आने के लिए प्रस्तावित अन्य अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरे :

- 9. प्रस्तावित करार का प्रकार:
 - (क) क्या आप एकपक्षीय करार का प्रस्ताव कर रहे हैं : हां/नहीं
 - (ख) यदि हां तो उसके कारण:
 - (ग) क्या आप द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार का प्रस्ताव कर रहे हैं: हां/नहीं
 - (घ) यदि हां तो उन देशों का नाम जिनके साथ जिनमें सहबद्ध उद्यम अवस्थित हैं:
- 10. व-र्ों की संख्या जिनके लिए करार के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव है:
- 11. इस्तेमाल की जाने वाली प्रस्तावित अंतरक मूल्य विधि के साथ समर्थनकारी दस्तावेज:
- 12. तृतीय पक्ष तुलनीय की पहचान:
- 13. सन्निकट मूल्य या लाभ स्तर उपदर्शक के ब्यौरे:
- 14. महत्वपूर्ण अवधारणाओं के ब्यौरे जिन्हें आवेदक मानता है कि कारबार या अंतरक मूल्य विधि के प्रभावित कर सकते हैं:
- 15. सक्षम प्राधिकारी के मुद्दे, अनुरोधों और समझौतों का इतिहास:
- 16. अंतरक मूल्य लेखा परीक्षा, निर्धारण और अपीलों की वर्तमान प्रास्थिति का इतिहास:
- 17. फाइल करने से पूर्व विचार-विमर्श के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों का नाम और पदनाम:

कोई अन्य सुसंगत सूचना :

में घो-ाणा करता हूं कि आवेदन में दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य कथित की गई है ।

भवदीय,

आवेदक

स्थान :

तारीख :

टिप्पण

1. आवेदन तीन प्रतियों में ही किया जाना है |

- 2. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर दिए जाने के लिए स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नक का इस्तेमाल किया जा सकेगा । इन संलग्नकों को आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।
- किसी अनाम आधार पर फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए अनुरोध की दशा में आवेदक या सहबद्ध उद्यमों का कोई नाम नहीं दिया जाना है ।
- 4. करार में आने के लिए प्रस्तावित सभी अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरों के संबंध में कृपया सहबद्ध उद्यम यदि कोई हों के साथ अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों के करारों के साथ-साथ इन संव्यवहारों को करार के अंतर्गत लाने के कारणों को भी प्रस्तुत करें ।
- 5. आवेदक द्वारा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदन की दशा में आवेदक यह कथन भी करे कि क्या भारत का इन देशों के साथ विद्यमान समग्र डीटीएए है । यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे देश में कोई करार कार्यक्रम है ?
- 6. फाइल करने से पूर्व अनाम अनुरोध की दशा में आवेदक के प्रतिनिधियों के ब्यौरे, जो फाइल करने से पूर्व विचार-विमर्श के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे, प्रस्तुत किए जाने हैं।

"प्ररूप सं. 3सीईडी (नियम 10झ का उपनियम (1) देखें) अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए आवेदन

सेवा में, सक्षम प्राधिकारी, भारत या आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

मैं (आवेदक का नाम) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ करार पर बातचीत करने का इच्छुक हूं । मैं इसके साथ आवश्यक विशि-टियां प्रस्तुत कर रहा हूं :

I. साधारण

- 1. आवेदक की विशि-टियां :
 - क. आवेदक का पूरा नाम :
 - ख. स्थाई लेखा संख्यांक:
 - ग. आवेदक का पता:
 - घ. संपर्क के लिए पता:

ङ. भारत में कारबार उद्यम की अवस्थिति (यां) :

च. उस व्यक्ति का ई-मेल और संपर्क संख्या जिससे पत्राचार किया जाना अपेक्षित है:

छ. प्राधिकृत प्रतिनिधियों का नाम और पता जो करार पर बातचीत के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे:

क्या आवेदक ने फाइल करने से पूर्व चर्चा की इच्छा की है ? यदि हां तो प्रस्तुत करें :
क. फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए आवेदन की तारीख:

ख. करार दल के साथ फाइल करने से पूर्व बैठक (कों) की तारीख:

3. सहबद्ध उद्यमों (एई) के नाम जिनके साथ करार का अनुरोध किया गया है :

उस देश (शों) का नाम जिनमें ऊपर 3 में वर्णित सहबद्ध उद्यम अवस्थित हैं:

 (क) क्या आप एकपक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार एकपक्षीय/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय के लिए आवेदन कर रहे हैं:

(ख) यदि आप द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदन हां/नहीं कर रहे हैं तो क्या सहबद्ध उद्यम ने अपने निवास के देश में सक्षम प्राधिकारी के पास करार के लिए आवेदन किया है:

(ग) यदि हां तो अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसा आवेदन करने का साक्ष्य संलग्न करें :

(घ) यदि नहीं तो किस तारीख तक अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करने का प्रस्ताव है (ड) यदि आवेदन एकपक्षीय करार के लिए है और ऐसे निकाय के साथ अंतररा-ट्रीय संव्यवहार अंतर्वलित हैं जिसके साथ भारत का दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए अधिनियम की धारा 90 या 90क के अधीन करार है तो कृपया स्प-टीकरण दें कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए अनुरोध क्यों नहीं किया गया है:

6. आवेदक द्वारा संदत्त फीस की विशि-टियां : रकम रुपयों में चालान सं. तारीख 7. प्रस्तावित एपीए की अवधि उस तारीख सहित जिससे एपीए का लागू होना चाहा गया है : 8. एपीए में समावि-ट किए जाने वाले प्रस्तावित अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरे (उस संपत्ति या सेवाओं का विवरण जिससे प्रस्तावित एपीए संबंधित है) : 9. प्रस्तावित अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति (यां) : 10. एपीए के लिए प्रस्तावित निर्बन्धन और शर्तें और समालोचनात्मक धारणाएं : 11. आवेदक और सहयुक्त उद्यम का इतिहास और पृ-ठभूमि : 12. कारबार और उत्पादों/सेवाओं का साधारण वर्णन : 13. मुख्य संव्यवहार प्रवाह सहित बहुरा-ट्रीय संरचना, संगठनात्मक प्रबंध, कार्यचालन संबंधी गठन :

14. बहुरा-ट्रीय उद्यम के अन्य सभी संव्यवहार प्रवाहों की पहचान करना (परिमाण, निदेश और रकम) जो समावि-ट संव्यवहारों के कीमत निर्धारण का समाघात करें :

15. प्रत्येक सत्ता के लिए फलनिक करेंसी और वह करेंसी जिसका उपयोग एपीए के अधीन समावि-ट किए जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहारों के लिए किया गया है :

16. लेखा और लागत प्रणाली, नीतियां, प्रक्रियाएं और व्यवहार जिसके अंतर्गत ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय और कर लेखा मतभेद भी है जो टीपीएमएस को प्रभावित करें :

II कृत्यकारी विश्ले-ाण

17. आवेदक और सभी सुसंगत सत्ताओं का समावि-ट संव्यवहारों की बाबत ब्यौरेवार फलनिक विश्ले-ाण :

18. कारबार युक्तियां - प्रस्तावित एपीए द्वारा समावि-ट भावी कालावधि के लिए चालू और भावी बजट विवरण प्रक्षेप और कारबार योजनाए, साधारण कारबार और उद्योग रुख भावी निदेश/कारबार युक्ति जिसके अंतर्गत आर एंड डी, उत्पादन और विपणन भी है :

19. वित्तीय और प्रचालन सूचना जिसके अंतर्गत निगम वार्निक रिपोर्टें भी है (कृपया प्रतियां संलग्न करें)

> क. पूर्व पांच व-र्ों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए यथा विनियोजित समेकित और असमेकित आधार पर वित्तीय विवरण (प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पूर्व नवीनतम कालावधि के लिए अंतरिम विवरण भी दें) :

> ख. पूर्व तीन व-ों के लिए आयकर विवरणियां और संबद्ध समर्थक अनुसूचियां जिसके अंतर्गत प्ररूप 3गड़ख भी है :

> ग. पूर्व पांच वर्नों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए यथा विनियोजित उत्पाद रेखा खंड इकाई और भौगोलिक क्षेत्र द्वारा विभाजित प्रचालन आंकड़े (सकल और शुद्ध) :

20. सुसंगत विपणन और वित्तीय अध्ययन (कृपया प्रतियां संलग्न करें) :

21. सभी सुसंगत अंतर-कंपनी करारों की प्रतियां (कीमत निर्धारण, लागत हिस्सेदारी, लाइसेंसिंग, वितरकता) (कृपया प्रतियां संलग्न करें) : III. उद्योग और बाजार विश्लेनण 22. ब्यौरेवार उद्योग विश्ले-ाण :

क. उद्योग के साथ ही साधारण रूप से स्वीकृत
और वाणिज्यिक व्यवहारों का व्यापक वर्णन :

ख. प्रतियोगियों जिसके अंतर्गत क्रमिक बाजार हिस्सेदारी भी है, की पहचान और साधारण रूपरेखा :

ग. उद्योग और साधारण कारबार सांख्यिकी, वित्तीय अनुपात और विश्लेनण/अध्ययन :

घ. सफलता के समालोचनात्मक कारक :

23. अंतर्वलित सभी देशों के बाजारों के ब्यौरेवार विश्ले-ाण :

IV. अंतरण कीमत निर्धारण पृ-ठभूमि

- 24. क. भारतीय विधि
 - ख. विदेशी विधि
 - ग. भारत और दूसरे देश के बीच आयकर संधि

के अनुसार सुसंगत विधिक बातों और अपेक्षाओं की चर्चा :

25. पिछले तीन व-र्ों के दौरान समावि-ट संव्यवहारों या कारबार चक्र के लिए यथा विनियोजित आवेदक और सहयुक्त उद्यमों द्वारा उपयोग में लाई गई अंतरण कीमत निर्धारण पद्धतियों, नीतियों और व्यवहारों की चर्चा :

26. सुसंगत विनिर्णयों, एपीएएस/बीएपीएस/एमएपीएस और आवेदक (या उसके सहयुक्त उद्यम) और भारतीय या विदेशी कर प्रशासकों द्वारा किए गए अंतरण कीमत निर्धारण या अन्य मूल्यांकन आधारों या अन्य कर मामलों के लिए विदेशी कर प्रशासकों के साथ किए गए अन्य समरूप प्रबंधों की चर्चा :

27. सुसंगत भारतीय आयकर संपरीक्षा, अपील, न्यायिक और सक्षम प्राधिकारी इतिहास की चर्चा :

28. सुसंगत विदेशी आयकर संपरीक्षा, अपील, न्यायिक और सक्षम प्राधिकारी इतिहास की चर्चा :

29. अनिर्धारित कराधान व-ों (भारतीय और विदेशी) और संबंधित बकाया कर, विधिक और अन्य संबद्ध विवाद्यकों की चर्चा :

V. अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति का विश्ले-ाण

30. समस्त सूचना दीजिए जिसके अंतर्गत भारतीय आयकर विधि में यथा

अंतर्वि-ट अंतरण कीमत निर्धारण विनियमों के अनुसार प्रस्तावित टीपीएम की समुचितता सिद्ध करने के लिए आवश्यक ब्यौरेवार विश्ले-ाण और स्प-टीकरण भी है:

31. प्रत्येक अनुप्रयुक्त या अस्वीकृत समावि-ट संव्यवहार के लिए प्रत्येक अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति की चर्चा और उसका विश्ले-ाण । विशि-ट रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत आंतरिक तुल्यों का ब्यौरा दें (ऐसी धारणाओं, युक्तियों और नीतियों को उपदर्शित करें जो प्रत्येक टीपीएम की स्वीकृति और अस्वीकृति को प्रभावित करें) :

32. चयनित टीपीएमएस और द्वितीय टीपीएमएस, यदि किसी स्वस्थचित्तता जांच के रूप में प्रयुक्त किए गए हों, का संक्षिप्त विवरण :

VI. प्रस्तावित अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति का समाघात

33. तीन पूर्व व-र्ों के प्रचालनों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए समावि-ट संव्यवहारों के लिए प्रस्तावित टीपीएमएस का आवेदन और चर्चा के परिणाम :

34. उस समयावधि के लिए, जिसके लिए आवेदक एपीए को समावि-ट करना चाहता है, प्रस्तावित टीपीएमएस का आवेदन और चर्चा के परिणाम :

35. धारा IV में अनुप्रयुक्त अवधि में अंतर, यदि कोई हों, की चर्चा और अनुमान :

में, यह घोनणा करता हूं कि आवेदन में दी गई सूचना मेरी समस्त जानकारी और विश्वास में सही और सत्यकथित है ।

भवदीय

आवेदक

स्थान : तारीख :

टिप्पणी : 1. द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए आवेदन सक्षम प्राधिकारी अर्थात् संयुक्त सचिव एफटी एंड टीआर-1, नई दिल्ली के समक्ष तीन प्रतियों में फाइल किए जाएंगे ।

 एकपक्षीय एपीए आवेदन महानिदेशक, आयकर (अंतर्रा-ट्रीय कराधान) नई दिल्ली के समक्ष तीन प्रतियों में फाइल किए जाएंगे ।

3. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाए तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक लगाया जा सकता है । ये संलग्नक आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । 4. फीस, नियम 4 के उपनियम (5) के अनुसार संगणित की जाएगी ।

5. आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे ।

प्ररूप संख्या - 3 सीईई (नियम 10ञ का उपनियम (2) देखिए) एपीए निवेदन को वापस लेने के लिए आवेदन

सेवा में,

भारतीय सक्षम प्राधिकारी या महानिदेशक, आयकर (अंतर्रा-ट्रीय कराधान), नई दिल्ली ।

महोदय/महोदया

यह कथन किया जाता है कि(करदाता का नाम) नेतारीख/ महीना/वर्न को एकपक्षीय/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एपीए के लिए आवेदन फाइल किया था । नीचे दिए गए कारणों से आवेदन एतद्द्वारा वापस लिया जाता है :

.....

में, यह घो-ाणा करता हूं कि आवेदन वापस लेने की बाबत दी गई सूचना मेरे संपूर्ण जानकारी और विश्वास में सही और सत्य कथित है और मैं पूर्णतः यह समझता हूं कि मेरे द्वारा आयकर नियमों के नियम 4 के अधीन सदंत्त फीस वापस नहीं की जाएगी ।

आपका नि-ठापूर्वक

आवेदक

स्थान : तारीख :

^{.....}

टिप्पणी :

1. वापस लेने का आवेदन तीन प्रतियों में फाइल करना चाहिए ।

 वापस लेने का आवेदन उस प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा जिसके समक्ष एपीए के लिए आवेदन किया गया था ।

3. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाए तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक लगाया जा सकता है । ये संलग्नक आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए ।

प्ररुप संख्या 3 सीईएफ (नियम 10ण का उपनियम (2) देखिए) अग्रिम कीमत निर्धारण करार पर वार्निक अनुपालन रिपोर्ट

सेवा में,

महानिदेशक आयकर (अंतररा-ट्रीय कराधान) नई दिल्ली ।

महोदय/महोदया,

मैं,तारीख/ महीना/वर्न से आरंभ होकरतारीख/ महीना/वर्न तक की अवधि के लिएऔर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच एपीए निर्देश संख्यातारीख......दारा हुए अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए वार्निक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं । इस बाबत मैं आवश्यक सूचना नीचे दे रहा हूं :

1. करदाता की विशि-टियां :

क. करदाता का पूरा नाम :

ख. स्थायी खाता संख्या :

ग. करदाता का पता :

घ. पत्रव्यवहार का पता :

ङ. ईमेल आईडी और पत्राचार के लिए व्यक्ति के संपर्क के लिए नंबर :

2. किए गए एपीए का प्रकार :

क. क्या आपने एकपक्षीय एपीए या द्विपक्षीय एपीए या बहुपक्षीय एपीए किया है ? एकपक्षीय/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय

ख. यदि आपने द्विपक्षीय एपीए या बहुपक्षीय एपीए किया है तो उस देश / उन देशों का / के नाम दीजिए जिसके/ जिनके साथ एपीए किया है ।

 सहयुक्त उद्यम / उद्यमों का /के नाम जिसके / जिनके साथ वर्न के दौरान अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों का जिम्मा लिया गया है।

4. समावि-ट संव्यवहारों के ब्यौरे :

- क. समावि-ट संव्यवहार की प्रकृति :
- ख. समावि-ट संव्यवहार की रकम :
- ग. अंतर्वलित देश :
- घ. सहमत अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति :
- ङ. सहमत लाभ स्तर सूचक :
- च . प्राप्त वास्तवित परिणाम :
- छ . अपेक्षित समायोजन :
- ज. आयकर विवरणी में समायोजन, यदि कोई है, को किस प्रकार दर्शाया गया है :

5. क्या -

- क. ठीक पूर्ववर्न :
- ख. उस प्रथम व-र्न के ठीक पूर्व का व-र्न जिसमें एपीए लागू होता है :

करदाता के कारबार प्रतिमान में कोई परिवर्तन हुआ है ?

6. क्या -

क. ठीक पूर्ववर्न

ख. उस प्रथम व-1 के ठीक पूर्व का व-1 जिसमें एपीए लागू होता है :

की तुलना में चालू वित्तीय वर्न में करदाता और सहयुक्त उद्यमों के फलनिक और जोखिम रुपरेखा में कोई परिवर्तन हुआ है :

7. अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति :

क. एपीए में सहमत हुए :

ख. एपीए के अंतर्गत आने वाले अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों की आसन्निकट कीमत को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए व-f के दौरान अनुसरण किया :

ग. ऊपर क और ख के बीच अंतर, यदि कोई हो :

घ. अंतरों के कारण :

8. समालोचनात्मक धारणाएं :

- क. एपीए में सहमत हुए :
- ख. क्या वर्न के दौरान समालोचनात्मक धारणाएं अनुरुप रही या समालोचनात्मक धारणाओं में कोई परिवर्तन हुआ :
- ग. समालोचनात्मक धारणाओं के अनुरुप नहीं रहने या समालोचनात्मक धारणाओं में परिवर्तन के कारण :

9. क्या करदाता समूह की संगठनात्मक संरचना में कारबार के समामेलन, अर्जन, विलयन, अविलयन या विक्रय की रीति से या किसी अन्य रीति से कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया उसका संपूर्ण ब्यौरा दें और एपीए में सहमत समालोचनात्मक धारणाओं पर उसका समाघात दर्शाएं :

10. एपीए में सहमत सभी अन्य निर्बन्धनों और शर्तों को विनिर्दि-ट करें और ये दर्शाएं कि क्या उनका पालन किया गया है । पालन नहीं करने की दशा में उसके कारण दे :

में, यह घोनणा करता हूं कि मैंने संलग्न दस्तावेजों सहित एपीए वार्निक अनुपालन रिपोर्ट में अंतर्वि-ट सूचना को देख लिया है और मेरे संपूर्ण ज्ञान और विश्वास में रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्य और संलग्न दस्तावेज सत्य, व्यापक और ठीक है ।

भवदीय

करदाता का नाम

स्थान : तारीख :

टिप्पणी : 1. वार्निक अनुपालन रिपोर्ट चार प्रतियों में फाइल की जाएगी ।

 वार्निक अनुपालन रिपोर्ट एपीए के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक वर्न के लिए फाइल की जाएगी, प्रत्येक वर्न के लिए पृथक रिपोर्ट फाइल की जाएगी । ऊपर मद संख्या 4 में ''समावि-ट संव्यवहार'' से संबंधित सूचना का प्रत्येक समावि-ट संव्यवहार के लिए अलग से दिया जाना अपेक्षित है।

4. कृपया अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति और सन्निकट कीमत की संगणना को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए एपीए में यथासहमत समस्त दस्तावेज संलग्न करें।"

[अधिसूचना सं. 36/2012 / फा.सं.133/5/ 2012-एसओ (टीपीएल)]

(आशीन कुमार) निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से आयकर (9वा संशोधन) नियम, 2012 अधिसूचना सं. का.आ. 1979(अ) तारीख 28.8.2012 द्वारा संशोधित किए गए ।